UPBJ010003372022

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

पीठासीन अधिकारी– (Sri Avdhesh Kumar), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06074**

सत्रवाद संख्या 41/2022

सरकार बनाम सतेन्द्र चौहान आदि

25–05–2023

पत्रावली आज आदेश प्रार्थनापत्र ख–13 अन्तर्गत धारा 227 दं0प्र0सं0 उन्मोचन हेतु नियत है।

पूर्व तिथि पर अभियुक्तगण सतेन्द्र चौहान, सोमपाल, शीशपाल व रिंकू के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना जा चुका है।

अभियुक्तगण की ओर से उन्मोचन प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण को झूॅठा फंसाया गया है। उन्होंने कथित अपराध नहीं किया है। अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपपत्र बिना किसी साक्ष्य के प्रस्तुत किया गया है। गवाहान के बयान अभियोजन व अभिलेखो के विपरीत है। विवेचक को इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान था कि कोई अपराध नहीं किया गया है। उन्होंने उपलब्ध दस्तावेजो व सामग्री का परिशीलन करने में चूक की है। अभियुक्तो के विरूद्व गलत आरोपपत्र प्रेषित कर दिया है। अभियुक्तगण निर्दोष है। उन्हें झूॅठा फंसाया गया है। उनकी अपराध में संलिप्तता की कोई साक्ष्य नहीं है। अभियोग में किसके द्वारा जाति सूचक शब्द कहे गये है इसका उल्लेख नहीं है। माननीय न्यायालयो द्वारा अवधारित विधि व्यवस्थाओ एवं प्रकरण के तथ्या एवं परिस्थितियो में अभियुक्तो को उन्मोचित किया जाए।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा तर्क दिया गया कि मामले की विवेचना के पश्चात आवेदकगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र प्रेषित किया गया है जिस पर संज्ञान लिया गया है। आवेदकगण के विरूद्ध आरोप लगाये जाने का पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः उन्मोचन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाए।

प्राथमिकी में वादी ने यह उल्लेख किया है कि दिनॉक 31.08.2021 को शाम के 8 बजे मक्सूदाबाद में पहले से घात लगाये बैठे सतेन्द्र चौहान ने प्रधानपति से हमसाज होकर उन लोगो द्वारा मुझे व मेरे भाई व अन्य दो साथियो पर हमला किया, जाति सूचक शब्दो का प्रयोग किया। देवेन्द्र ने कहा कि दोनों भाईयो का किस्सा खत्म कर दो, और प्रधानपति सोमपाल, शीशपाल व रिंकू आदि ने जानलेवा हमला किया। शोर पर ग्राम वासियो ने बचाया।

विवेचना के दौरान वादी शिवराज सिहॅ व अन्य साक्षियो ने बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0स0 में घटना का समर्थन किया है। विवेचना के पश्चात अभियुक्तगण सोमपाल,

Digitally signed by AVDHESH KUMAR
Date: 2023.05.25 16:35:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

शीशपाल व रिंकू के विरूद्व धारा 323,324,325,506 भा0दं0सं0 व सतेन्द्र चौहान के विरूद्व धारा 323,324,325,506 भा0दं0सं0 व 3(2)5क एस0सी0/एस0टी0 एक्ट का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्तगण के द्वारा उन्मोचन प्रार्थना पत्र मे उठाये गये समस्त बिन्दु विचारणीय है, जिन पर दौरान विचारण अभियुक्तगण को उचित प्रक्रम में अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। इस स्तर पर बचाव में उठाये गये बिन्दुओ पर विचार किया जाना न्यायोचित नहीं है।

विनोद कुमार श्रीवास्तव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 2015 (1) जे0आई0सी0 860 इलाहाबाद में माननीय न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि आरोप के स्तर पर न्यायालय के लिये आवश्यक नहीं है कि साक्ष्य का बड़ी बारीकी से परिशीलन करे और इस अभिव्यक्ति के साथ अभियुक्त को उन्मोचित किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने संबंधी आदेश को सही माना गया।

संधी ब्रादर्श इन्दौर प्रा. लि0 बनाम संजय चौधरी 2009 (1) ए.सी.आर. 739 एस. सी. में माननीय न्यायालय ने अवधारित किया है कि आरोप के स्तर पर मात्र प्रथम दृष्टया मामला देखा जाना है। प्रबल संदेह के आधार पर भी आरोप विरचित किया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचना एवं विधिक नजीरो के दृष्टिगत पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण सोमपाल, शीशपाल व रिंकू के विरूद्व धारा 323,324,325,506 भा0दं0सं0 व सतेन्द्र चौहान के विरूद्व धारा 323,324,325,506 भा0दं0सं0 व 3(1)द, 3(1)ध एस0सी0/एस0टी0 एक्ट का प्रथम दृष्टया आरोप लगाये जाने का पर्याप्त आधार है। अभियुक्तगण को उन्मोचित किये जाने का आधार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र उन्मोचन ख–13 निरस्त किया जाता है। पत्रावली लंच पश्चात आरोप हेतु पेश हो।

दिनॉक 25–05–2023

(अवधेश कुमार)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी.ए.)एक्ट
बिजनौर।